

नम्बर  
अप्रीकाम जो  
हुकम की तारीख  
में जारी हुई

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजू बनाम लीला पारीक  
99/08 (आरसीएमएस नं. 2008/00012)


नम्बर व तारीख  
अप्रीकाम जो इस  
हुकम में तामील में  
जारी है

01.05.19

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष का दोराने बहस कथन रहा है कि अपीलान्ट एवं रेस्पॉडेन्ट ने अपील में वर्णित भूमि का आपसी सहमति के आधार पर विद्वा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सहमति पत्र/राजीनामा के आधार पर राजीनामा कर लिया है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन भूमि में अन्य कार्यवाही राजीनामे के अनुसार ही की जावेगी, ऐस स्थिति में अपील अपीलान्ट राजीनामें के आधार पर विद्दो करना चाहते है यानि अपील को आगे नही चलाना चहता है इसलिये अपीलान्ट की अपील को विद्दो किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने के कारण अपील स्वयं ही अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहता है तथा विद्दो करना चाहता है, ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।

अतः उपरेक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट स्वयं द्वारा अपनी अपील विद्दो किये जाने के कारण अपीलान्ट की अपील विद्दो/निरस्त की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावें तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

  
(के०सी०वर्मा)  
संभागीय अधिवक्ता,  
संभागीय अदालत,  
जयपुर।